104

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट-रीवा

333
30.6.14

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

जिला- रीवा (म0प्र0)

Rs. 20/-

R-2382-III/14

(1) सुरेन्द्र त्रिपाठी , (सभी के पिता स्व0 विश्वनाथ त्रिपाठी,
(2) राजेन्द्र त्रिपाठी , (सभी निवासी- ग्राम शिवपुर्वा, तह0 गुढ़,
(3) ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी , (जिला- रीवा (म0प्र0)
(4) वीरेन्द्र त्रिपाठी , (
(5) उपेन्द्र त्रिपाठी , (
(6) धनेन्द्र त्रिपाठी , (
(7) रत्नेन्द्र त्रिपाठी, (
(8) गजेन्द्र त्रिपाठी , (----आवेदक/निगरानीकर्ता गण

बनाम

शासन म0प्र0 जरिए जिलाध्यक्ष, रीवा (म0प्र0) ----अना0/गैरनिगरा0

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) द्वारा प्र0 क्र0- 237/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 10-02-14

श्री आर.एल.के. सोनी एड० के द्वारा आज दिनांक 30.6.14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 2380
~~रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा~~ आज दिनांक 25-7-14 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर,

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

निगरानी के आधार अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित हैं:-

(1) यह कि विद्वान मातहत अदालत द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि, प्रक्रिया एवं नैसर्गिक न्यायसिद्धान्त के विपरीत होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्र0 : R/2382/III/14

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
17/7/18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 237/11–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–2–2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 10–2–2014 के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदकगण ने कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 4/अ–74/1983–84 में पारित आदेश दिनांक 8–9–1986 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष वर्ष 2013 में अपील प्रस्तुत की है जिसे अपर आयुक्त ने अवधिवाह्य पाकर आदेश दिनांक 10–2–2014 से अग्राह्य की है। वर्ष 1986 में कलेक्टर व्दारा पारित आदेश के विरूद्ध वर्ष 2013 में प्रस्तुत अपील में 28 वर्ष के विलब से है । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 10–2–14 के अनुसार 28 वर्ष के अनुचित विलम्ब के दिन–प्रतिदिन का समाधान भी नहीं कराया गया है जिसके कारण अपर आयुक्त ने अवधिवाह्य अपील को अग्राह्य किया है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 237/11–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–2–2014 में किसी प्रकार का दोष परिलक्षित न होने से निगरानी इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	